

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 (आषाढ 26, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.145-बासौदा से निर्वाचित सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर रेंज, जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश) की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 12.07.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि धारा 151/107, 116 (3) जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री निशंक कुमार जैन को दिनांक 08.06.2017 को 14.45 बजे बंदी कर उसी दिन 15.45 बजे विमुक्त कर दिया गया है. ”

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.